State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार (भा०प्र०से०)
कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

संचिका संख्या SHSB/PM/321/2011
आदेश संख्या...5600.......दिनांक 07.07.12

कार्यालय आदेश

राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के उपयोगार्थ जिलास्तर पर शय्याओं के क्रय हेतु तीन प्रकार के शय्याओं यथा Semi Fowler Bed, Fowler Deluxe Bed एवं Fowler Bed के दर अनुबंध हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से दिनांक 13.10.2011 का निविदा सूचना का प्रकाशन किया गया था।

कोर कमिटि के द्वारा तकनीकी निविदा में चयनित सात फर्मो के तीन प्रकार के शय्याओं यथा Semi Fowler Bed, Fowler Deluxe Bed एवं Fowler Bed का गुणवत्ता परीक्षण एवं मानक जाँच एक विशेषज्ञ समिति के सदस्यों एवं यूनिसेफ के द्वारा प्रदत्त तकनीकी विशेषज्ञ third party specialist के रूप में TUV-SUD के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने गुणवत्ता जाँचोपरान्त छह निविदादाता फर्मो की वित्तीय निविदा खोलने का अनुशंसा किया था।

दिनांक 19.3.2012 को परियोजना आकलन समिति के समक्ष निविदादाताओं की उपस्थिति में छह फर्मो की वित्तीय निविदा खोली गयी। वित्तीय निविदा में अंकित न्यूनतम दर के आधार पर मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली को Fowler Deluxe Bed के लिए 12,500.00रू, Fowler Bed के लिए 10,874.00 रू० एवं Semi Fowler Bed के लिए 9,283.00 रू न्यूनतम दर अनुमोदित फर्म घोषित किया गया।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 2100 दिनांक 3.3.2012 के आलोक में दिनांक 14.3.2012 को विशेषज्ञ समिति के समक्ष गुणवत्ता जाँच में पाये गये कमियों का निराकरण करने का आश्वासन मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली के पत्र दिनांक 15.3.2012 के द्वारा दिया गया था। उक्त के आलोक में फर्म द्वारा पुनः दिनांक 9.4.2012 को शय्याओं का demonstration किया गया तथा फर्म को आदेशित किया गया कि निविदा सूचना एवं प्री-बीड में निकाले गये विशिष्टता के अनुरूप 39 सेट यानि 117 शय्याओं का नमूना फर्म के पत्र दिनांक 9.4.2012 के द्वारा समर्पित पत्र के अनुसार दिनांक 9.5.2012 तक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराना था। फर्म द्वारा निर्धारित तिथि तक शय्याओं का नमूना उपलब्ध नहीं कराने पर पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 3992 दिनांक 09.05.2012 के द्वारा दिनांक 15.5.2012 तक शय्याओं के नमूनों की आपूर्ति करने हेतु फर्म को आदेशित किया गया।

साथ ही कार्यालय पत्रांक 3856 दिनांक 04.05.2012 के द्वारा उक्त फर्म को कुल 50 (पचास) लाख रूपये की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में दिनांक 15.5.2012 तक जमा करने एवं कंपनी के स्वयं के नाम का पटना

में डीपो खोलकर उसका पता भेजने हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु निर्धारित तिथि तक उक्त फर्म के द्वारा निर्धारित प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा नहीं किया गया, जो निविदा शर्त की कंडिका 'f' का उल्लंधन है।

निविदा सूचना शर्त के कंडिका 'r' के अनुसार उक्त दर अनुमोदित फर्म को दर अनुबंध के पूर्व पटना में अपना डीपो खोलना था एवं बिहार वाणिज्यकर विभाग में विधिवत् निबंधन कराना था। परन्तु उक्त फर्म के द्वारा ना तो अपने कंपनी के स्वयं के नाम का डीपो खोला गया और ना ही बिहार वाणिज्यकर विभाग में निबंधन कराकर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचित किया गया। जो निविदा शर्त की कंडिका 'r' का सीधा उल्लंधन है। फर्म के द्वारा अपने पत्रांक USI/12-13/018 दिनांक 18.4.2012 के द्वारा कंपनी के स्वयं के नाम का डीपो नहीं खोलकर और वाणिज्यकर विभाग में निबंधन नहीं कराकर मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेज, कौशल्या एस्टेट, बंदर बागिचा, पटना को अपना स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता नियुक्त किया, जो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को निविदा शर्त 'r' के आलोक में मान्य नहीं है।

मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली ने पत्रांक USI/12-13/116 दिनांक 9.5.2012 द्वारा Road Permit उपलब्ध कराने को कहा है। Road permit निर्गत करने के बिन्दु पर स्पष्ट करना है कि निविदा शर्त में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार किसी भी फर्म को road permit निर्गत करेगी। उक्त न्यूनतम दर अनुमोदित कंपनी के स्वयं के नाम के स्थानीय डीपो जिसका निबंधन बिहार वाणिज्यकर विभाग में होगा के नाम पर road permit निर्गत कराने की जिम्मेवारी फर्म की है।

पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 4144 दिनांक 16.5.2012 के द्वारा फर्म को दिनांक 25.5.2012 तक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये निदेशित किया गया कि निविदा सूचना एवं प्री-बीड में निकाले गये विशिष्टता के अनुरूप 39 सेट यानि 117 शय्याओं का नमूना एवं 50 (पचास) लाख रूपये की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करना सुनिश्चित करें तथा अपने कंपनी के स्वयं के नाम का स्थानीय डीपो जो बिहार वाणिज्यकर विभाग में विधिवत् निबंधित हो, का पता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परन्तु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के उक्त पत्र के संदर्भ में फर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया गया। फर्म के द्वारा शय्यओं का नमूना एवं 50 लाख राशि का बैंक गारंटी तथा डीपो का पता अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली ने पत्रांक USI/12-13/140 दिनांक 18.5.2012 के द्वारा सूचित किया है कि side railing उनके द्वारा slidable नहीं दिया जायेगा, सिर्फ foldable ही दिया जायेगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सिर्फ foldable system का शय्या ही नमूना के रूप में तैयार है उसमें slidable system नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली शय्याओं की आपूर्ति हेतु इच्छुक नहीं है और उनके द्वारा टालमटोल की स्थिति अपनायी जा रही है। न्यूनतम दर अनुमोदित फर्म के द्वारा दर अनुबंध से इंकार करना, निर्धारित राशि की प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा नहीं करना,

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

न्यूनतम अनुमोदित दर पर निविदा शर्त के अनुरूप विशिष्टता वाली सामग्री आपूर्ति करने से इंकार करना एवं दर अनुबंध से संबंधित required obligations को पूरा नहीं करना निविदा शर्त की कंडिका 'd' का भी सीधा उल्लंधन है। अतः अब फर्म से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने एवं सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के व्यापक समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली को निविदा शर्त की कंडिका 'd', 'f' एवं 'r' का उल्लंधन करने एवं मरीजों को शय्या जैसी महत्वपूर्ण उपस्कर उपलब्ध कराने से संबंधित सरकार की लोकोपयोगी एवं महत्वाकाँक्षी योजना बाधित करने के आरोप में निविदा शर्त की कंडिका g, u, w के आलोक में फर्म के दर अनुमोदन को समाप्त करते हुये फर्म को पाँच वर्षो तक काली सूची में दर्ज एवं अगले पाँच वर्षो तक उन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों/संस्थानों द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाई जाती है।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलंब दिया जाये एवं सर्वसाधारण के सूचना हेतु इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर भी उपलब्ध करा दिया जाये।

7/7/2012

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 5600 पटना, दिनांक 07.07.12

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक/सभी वरीय उपसमाहर्ता/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः मेसर्स यूनाईटेड सर्जिकल इन्डस्ट्रीज, 445, एफ०आई०ई०, पतपड़बगंज, दिल्ली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

7/7/2012

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य